न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 105/2020 प्रार्थना पत्र

हीरालाल पिता पृथ्वीराजजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ———वादी
मो0नं0 9001480766

बनाम

गोरीलाल पिता पृथ्वीराजजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मड्डा गुलफरोशान तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ——प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 रा0ले0रे0 एक्ट दिनांक-31-5-2022

प्रार्थीगण की ओर सेः— अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव उपस्थित

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र की अन्तर्गतधारा 136 रा0ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आराजीयात वाके ग्राम मण्डा गुलफरोशन पटवार हल्का रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा की खातेदारी की वादग्रस्त आराजीयात के खाता संख्या 187 आराजी नम्बर 199 रकबा 0.0600 हे0 गेमुरास्ता,आराजी न0 205 रकबा 0.1200 हेक्टर भूमि गेमुचाह कुल किता 2 कुल 2 किता 01800 हे0 स्थित हैं, जिनके पुराने आराजी न0 112 रकबा 5 बिस्वा एंव आराजी न0114 रकबा 9 बिस्वा स्थित हैं । साक्ष्य में नकल जमाबंदी व मिलान क्षैत्रफल पेश हैं। वादी का वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी न0 1 व 2 व विपक्षी न0 1 के पिता पृथ्वीराज एंव प्रार्थी न0 3 के पिता भंवरलाल जी व विपक्षी न 2,3,4 के पिता व पति केसरीमल के नाम संवत् 2011 से 2014 के जमाबंदी संयुक्त नाम से दर्ज चली आ रही थी ।उक्त आराजीयात में पृथ्वीराज जी का 1/3 हिस्सा भंवरलाल जी का 1/3 हिस्सा एंव केसरीमल जी का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड चला आ रहा था । वादस्ग्रस्त आराजीयात के साथ अन्य आराजीयात थी जिसका बाद में भंवरलालजी, पृथ्वीराज व केसरीमल जी पिसरान रामलाल जी के मध्य आपसी बटवारें से अन्य आराजीयात अलग अलग खातेदारी में दर्ज हुई तथा उक्त वादग्रस्त पुराने आराजी न0 112 व 114 बदस्तुर संयुक्त रूप से दर्ज रही और इसी अनुसार राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से केसरीमल के देहान्त के बाद विरासत से केसरीमल का 1/3 हिस्सा विपक्षी न0 2 से 5 के नाम दर्ज करते हुए समय राजस्व कर्मचारियों की गलती कीवजह से राजस्व रेकार्ड में पृथ्वीराज, भंवरलाल पिता रामलाल तथा उंकारलाल, शांन्तिलाल पिता केसरीमल व धापू पत्नि स्व0 केसरीमल दर्ज करने के बाजए जमाबंदी रोटेशन में पृथ्वीराज, भंवरलाल, रामलाल, उंकारलाल, शांन्तिलाल,पिता केसरीमल नावासप माता मु0 धापु पत्नि स्व0 केसरीमल जाट हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जो राजस्व कर्मचारियों की गतली की वजह से हुआ हैं । इसलिए प्रार्थीगण नवीन राजस्व रिकार्ड में पुरान राजस्व रिकार्ड मं दर्ज अनुसार प्रार्थी न0 1 व 2 व विपक्षी न0 1 के पिता पृथ्वीराज जी 1/3 एंव प्रार्थी न0 3 के पिता भंवरलाल 1/3 व विपक्षी न0 2,3,4 के पिता व पति केसरीमल जी 1/3 हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं ।

पत्रावली पर हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान पुराने रिकार्ड का नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

मौका रिपोर्ट के साथ भी रेकार्ड आदि प्रस्तुत किये गये हैं। मौक रिपोर्ट में आराजी न0 199, 205 में हिस्सा दुरस्तीकरण हेतु आवेदन पेश किया । पेश जमाबंदी जागीर संख्या 2011 से 2014 में उक्त आराजी न0 के साबिक आराजी न0 112 व 114 भंवरलाल, पृथ्वीराज, केसरमल पिता रामलाल के नाम से दर्ज होने से प्रत्येक खातेदार का हिस्सा 1/3, 1/3 होना स्पष्ट हैं । अतः हाल आराजी नम्बर 199, 205 में पृथ्वीराज 1/3, भंवरलाल 1/3, पिता रामलाल व केसरीमल के वारिसान उंकारलाल, शान्तिलाल, पिता केसरीमल एंव धापु पत्नि केसरीमल 1/3 दर्ज किया जाना उचित हैं, जो सहवन से गलती की दुरस्ती होकर रिकार्ड से प्रमाणित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार निम्बाहेड़ा अनुसार वाके मौजा ग्राम मण्डागुफरोशन पटवार हल्का रानीखेडा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का पुराने राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी न0 1 व 2 विपक्षी न0 1 के पिता पृथ्वीराज 1/3 एंव प्रार्थी न0 3 के पिता भंवरलाल 1/3 व विपक्षी न0 2, 3, 4 के पिता व पति केसरीमल 1/3 हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण के नाम नवीन राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरस्त किया जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर मण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा